इन्फ्रॉस्ट्रक्चर उप-समिति की बैठक का कार्यवृतांत

आज दिनांक 26.02.2026 को मेरे विश्राम कक्ष में इन्फ्रॉस्ट्रक्चर उप-समिति की बैठक दोपहर 01.30 बजे सम्पन्न की गयी है। बैठक में समिति के सदस्य श्रीमती सोनाली पूनिया, सिविल जज सीनियर डिवीजन बागपत एवं सुश्री निधि वर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट बागपत उपस्थित आयें। केन्द्रीय नाजिर द्वारा ए.सी. एवं फ्रिजों की सर्विस/मरम्मत से सम्बन्धित पत्रावली प्रस्तुत की गयी।

जनपद न्यायालय बागपत में न्यायालय कक्षों, विश्राम कक्षों एवं ट्रांजिट हॉस्टल में स्थापित ए.सी. एवं फ्रिजों की सर्विस/मरम्मत के सन्दर्भ में माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत द्वारा पारित आदेश दिनाँकित-23.02.2026 के सम्बन्ध में समिति द्वरा विचार विमर्श किया गया। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्रांक संख्या-577/इन्फ्रा सेल इलाहाबाद दिनाँकित-25.04.2025 में जनपद न्यायालय बागपत में स्थापित फ्रिज एवं ए.सी. की सर्विस/मरम्मत निविदा प्रक्रिया द्वारा कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

जनपद न्यायालय बागपत में स्थापित ए.सी. एवं फ्रिजों का विवरण निम्नवत हैं-

जनपद न्यायालय परिसर में स्थापित ए.सी. एवं फ्रिज का विवरण

क्र.सं.	स्थान	स्पिलिट ए.सी.	विंडो ए.सी.
01.	न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा समस्त अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय कक्ष एवं विश्राम कक्ष	42	0
02.	मीटिंग हॉल न्यायालय	02	01
03.	कैंप कार्यालय	02	0
04.	कम्प्यूटर सर्वर रूम	02	01
05.	वी.सी. रूम	03	0
06.	वेटिंग हॉल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश	01	0
07.	मीटिंग हॉल, ट्रांजिट हॉस्टल	03	0
08.	डायनिंग हॉल, ट्रांजिट हॉस्टल	02	0
09.	वी.आई.पी. सूईट संख्या-01,ट्रांजिट हॉस्टल	02	01
10.	वी.आई.पी. सूईट संख्या-02,ट्रांजिट हॉस्टल	02	0
11.	सामान्य 06 सूईट, ट्रांजिट हॉस्टल	0	12
	कुल	**61**	**15**

जनपद न्यायालय परिसर में स्थापित फ्रिज का विवरण

क्र.सं.	**स्थान**	**संख्या**
01.	किचन ट्रांजिट हॉस्टल	02
02.	वी.आई.पी. सूईट संख्या-01	01
03.	वी.आई.पी. सूईट संख्या-02	01
04.	सामान्य 06 सूईट ट्रांजिट हॉस्टल	06
05.	कैंप कार्यालय	02
06.	किचन न्यायालय परिसर	02
	कुल	**14**

माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार इंफ्रा उप-समिति बागपत द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-2027 हेतु जनपद न्यायालय बागपत में स्थापित ए.सी. एवं फ्रिजों की मरम्मत का कार्य निविदा प्रक्रिया द्वारा कराने का निर्णय लिया गया जिसके लिये भौतिक निरीक्षण के उपरान्त निविदा आमंत्रित किया जाना उचित प्रतीत हो रहा है। निविदा हेतु इच्छुक फर्म दिनाँक-09.03.2026 से पूर्व जनपद न्यायालय बागपत में स्थापित ए.सी. एवं फ्रिजों का भौतिक निरीक्षण करते हुये निविदा न्यायालय में प्रस्तुत करें।

निविदा हेतु नियम एवं शर्तें निम्नवत है-

01. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के आदेश के अनुपालन में जनपद न्यायालय बागपत में ए.सी. एवं फ्रिज की मरम्मत/सर्विस हेतु निविदा वित्त पथ अंक 2011 के भण्डार-क्रय नियम पैरा 11 व 12 में निहित प्राविधानों के अधीन दिनांक-09.03.2026 तक आमंत्रित की जाती है। निविदाएं सील्ड बंद लिफाफे में प्रस्तुत की जायेंगी।
02. निविदा प्रस्तुत करने वाले फर्म/दुकानदार को निविदा के साथ स्वयं का आधार कार्ड/पैन कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
03. सभी प्राप्त निविदाएं दिनांक 09.03.2026 को इन्फ्रा समिति के समक्ष दोपहर 01.30 बजे जनपद जनपद न्यायालय बागपत के सभागार कक्ष में खोली जायेंगी। उक्त तिथि को निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/दुकानदार आदि स्वयं या प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित रह सकते है।
04. जनपद न्यायालय बागपत में फ्रिज एवं ए.सी. की सर्विस/मरम्मत के कार्य हेतु सभी नियम व शर्तों की जानकारी माननीय उच्च न्यायालय एवं जनपद न्यायालय बागपत की वेबसाईट से प्राप्त की जा सकती है।
05. धरोहर धनराशि प्रस्तुत निविदा की कुल धनराशि के सापेक्ष कुल 2 प्रतिशत, निविदा के साथ बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में प्रस्तुत की जायेगी।
06. निविदा आवेदन फार्म केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय बागपत से धनराशि अंकन 100/- रूपये जमा कर प्राप्त किये जा सकते है।
07. निर्धारित फार्म के अतिरिक्त अन्य प्रारूप पर प्रेषित की गयी निविदायें स्वीकार्य नही होंगी।
08. ए.सी. एवं फ्रिजो की मरम्मत/सर्विस का कार्य स्थल जनपद न्यायालय बागपत रहेगा।
09. ए.सी. एवं फ्रिजों की मरम्मत/सर्विस के कार्य की समस्त जिम्मेदारी निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/दुकानदार की होगी।
10. ए.सी एवं फ्रिजों की मरम्मत/सर्विस से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय बागपत होगा।
11. फर्म द्वारा ए.सी. व फ्रिज का भौतिक निरीक्षण करने हेतु न्यायालय द्वारा कोई भुगतान नही किया जायेगा।
12. दिनांक 09.03.2026 को दोपहर 01.30 बजे के पश्चात कोई निविदा स्वीकार नही की जायेगी।
13. सभी निविदायें स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अधिकार अंतिम रूप से माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत का होगा।

उपरोक्त नीलामी की शर्तें माननीय जनपद न्यायाधीश के आदेशानुसार के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

26/02/2026 — 26/2/26 — 26/02/26

(निधि वर्मा) सदस्य इन्फ्रा उप-समिति न्यायिक मजिस्ट्रेट, बागपत।	(सोनाली पूनिया) सदस्य इन्फ्रा उप-समिति सिविल जज सीनियर डिवीजन, बागपत।	(पवन कुमार राय) सदस्य इन्फ्रा उप-समिति अध्यक्ष इंफ्रा उप-समिति/ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय संख्या-05 बागपत।

Approved.
26.02.26

District Judge
Baghpat